2006 : CGHC : 5376

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 292/2003

भारत के संविधान के के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

याचिकाकर्ता : श्री राजबहादुर सिंह, पिता रामचंद्र सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष , निवासी-रिंग रोड, बोरीपारा, अंबिकापुर, (स्कूल के पीछे), जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा : प्रमुख सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. आयुक्त, जनजातीय विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. कलेक्टर, सरगुजा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

4. निदेशक, बिशप-हाउस, कैथोलिक डायसिस स्कूल, नयापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

5. प्रधानाचार्य, प्रभात हायर सेकेंडरी स्कूल, राय रघुनाथपुर, तह. लुंड्रा, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006 : CGHC : 5376

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 292/2003

याचिकाकर्ता	:	राजबहादुर सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री आर. एन. झा, अधिवक्ता।
	:	उत्तरवादीगण संख्या 1 से 3/राज्य के लिए श्री ए एस. कछवा, उप शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादीगण संख्या 4 और 5 के लिए श्री ए. के. प्रसाद, अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 27 नवंबर, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता को वर्ष 1994 में प्रभात हायर सेकेंडरी स्कूल, राय रघुनाथपुर, तहसील लुंड्रा, जिला–सरगुजा में यू. डी. टी. (उच्च श्रेणी शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद, आदेश दिनांक 26.6.1995(अनुलग्नक पी / 2) द्वारा उसकी व्याख्याता के पद पर भर्ती की गई थी।

आदेश दिनांक 26.6.1995(अनुलग्नक पी/2) याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद पर भर्ती करने का आदेश प्रतीत होता है जिसके बाद औपचारिक आदेश दिनांक 1.7.1995(अनुलग्नक आर–4/1) जारी हुआ था।

2. याचिकाकर्ता की नियुक्ति की अवधि दिनांक 1.7.1995 से 30.6.1999 तक 4 साल की अवधि के लिए थी। नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर याचिकाकर्ता की सेवाएंसमाप्त कर दी गईं।

3. याचिकाकर्ता ने लगभग साढ़े तीन वर्ष की अवधि के बाद दिनांक 16.1.2003 को यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें आदेश दिनांक 11.5.1999, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से मुक्त कर दिया गया था, को रद्द करने के लिए अनुतोष/निर्देश की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आगे बकाया, डी. ए., वेतन वृद्धि, जी. पी. एफ. आदि के साथ–साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 . यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि अस्थायी, तदर्थ या संविदा नियुक्तियों का पद पर कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सेवा में नियमितीकरण/आमेलन या निरंतरता का दावा नहीं कर सकता है।

5. **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य विरुद्ध उमादेवी (3) और अन्य**[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कंडिका 44 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "44. ... ...संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित करना न्यायसंगत या उचित नहीं होगा जिससे उन व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति या अनुबंध के

1 (2006) 4 SCC 1

आधार पर नियोजित, आमेलित या स्थायी किए जाने की अनुमति मिल सके। पूर्ण न्याय ही विधि के अनुसार न्याय होगा और तथापि इस न्यायालय को अनुतोष अनुदत्त करने का अधिकार होगा, तथापि यह न्यायालय ऐसा अनुतोष अनुदत्त नहीं करेगा जो अवैधता को कायम रखने के समान हो।"

6. **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य**(पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की स्पष्ट व्याख्या अधिकथित की है जिसका बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में अनुसरण किया गया था। इनमें से कुछ प्रकरण है–**लेखा अधिकारी (ए एंड आई) एपीएसआरटीसी और अन्य विरुद्ध पी. चंद्रशेखर राव और अन्य**[2], **सुरिंदर प्रसाद तिवारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद और अन्य**[3], **नगर महापालिका (अब नगर निगम) विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[4] और **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विरुद्ध मान सिंह**[5] ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य**(पूर्वोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया था :

"45 .अस्थायी या आकस्मिक नियुक्तियों को नियमित या स्थायी करने का निर्देश देते समय न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित होते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ समय तक और कुछ मामलों में काफी लम्बे समय तक काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अस्थायी या आकस्मिक प्रकृति का नियोजन स्वीकार करता है, वह अपने नियोजन की प्रकृति से अवगत नहीं है। वह खुली आँखों से नियोजन को स्वीकार करता है। यह सत्य हो सकता है कि वह मोलभाव करने की स्थिति में नहीं हो– दूरी बनाकर भी नहीं–क्योंकि वह अपनी आजीविका उपार्जन करने के लिए कुछ रोजगार की तलाश कर होगा और जो कुछ भी उसे मिलता है उसे स्वीकार कर लेता होगा। परंतु केवल उसी आधार पर, नियुक्ति की संवैधानिक योजना की उपेक्षा करना और यह विचार रखना उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति जिसे अस्थायी रूप से या आकस्मिक रूप से नियोजित किया गया है,

2 (2006) 7 SCC 488
3 (2006) 7 SCC 684
4 2006 AIR SCW 2497
5 2006 AIR SCW 5159

उसे स्थायी रूप से कार्यरत रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से, यह लोक नियुक्ति की एक नहीं रीती सृजित हो जाएगी जो अनुमेय नहीं है।

"47 .जब कोई व्यक्ति एक अस्थायी नियोजन में प्रवेश करता है या एक संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है और नियुक्ति प्रासंगिक नियमों या प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन पर आधारित नहीं होती है, तो वह नियुक्ति के अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक होने के परिणामों से अवगत होता है। ऐसा व्यक्ति पद पर स्थायी होने के लिए वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता, जब पद पर नियुक्ति केवल चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करके और संबंधित मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा सकती है।"

8. उपर्युक्त कारणों से और उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता सेवा में निरंतरता/स्थायी पद या नियमितीकरण का हकदार नहीं है।

9. तदनुसार यह याचिका रद्द की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

सुभाष

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**